फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

किशनलाल मुतबन्ना नारायण बैरवा, निवासी उत्तमपुरा, ग्रा. पं. आरनी

बनाम

देऊ बाई पत्नि मेघा बैरवा निवासी उत्तमपुरा, ग्रा. पं. आरनी वगैरा

प्रकरण संख्या 56/2016 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार उपस्थित। गैर निगराकार संख्या 1 की तामील शेष है। अधिवक्ता निगराकार ने आज भी गैर निगराकार संख्या 1 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया। अधिवक्ता निगराकार को कई अवसर दिए जाने के बावजूद भी उन्होनें गैर निगराकार संख्या 1 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है। अधिवक्ता निगराकार ने प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक लगभग 08 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी गैर निगराकार संख्या 1 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है जबकि पेशी दिनांक 03.06.2022 को निगराकार के अधिवक्ता को न्यायहित में अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर नोटिस प्रोसेस पेश नहीं करने पर कोई अवसर देय नहीं होकर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी उनके द्वारा आदिनांक तक नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब नोटिस के अभाव में प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	